[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 15th December, 2009

No. G.S.R. 31/Const./Art. 283/2009.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Departmental Financial Rules, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Departmental Financial (Haryana Amendment) Rules, 2009.

2. In the Departmental Financial Rules, for rule 3.23, the following rule shall be substituted, namely :—

"3.23 On receipt of the imprest Cash Account (*vide* rule 3.19), the recouping officer shall examine the account and supporting vouchers, append this initials on the vouchers along with date in token of approval, and, by a formal pay order recorded on the account, authorise the recoupment, enhancement, reduction or closing of the imprest, as the case may be. However, the cumulative amount of outstanding and unsettled imprest(s) in the hand of one single authority/officer should, at no point, exceed ten thousand rupees in any case :

Provided that the Head of Department, with the prior approval of the Government, may by special order on case to case basis, issue special sanction enhancing the limit on cumulative amount up to any value not exceeding fifty thousand rupees where he is satisfied that the nature of exigencies warrants such enhancements in public interest :

Provided further that every imprest drawn/recouped under this provision must be finally settled within three months from the date it is so drawn/recouped or the immediately following 31st March, whichever is early :

Provided further that it shall be the responsibility of the concerned authority authorising the recoupment, etc., of the imprest to ensure compliance in terms of the second proviso above, and, in the event of default on dead lines, to recover the unsettled balance from the officer concerned, including recovery from his salary, and cause it to be deposited in the relevant account/head of account. This requirement shall also be applicable on all the outstanding unsettled imprest existing as such on the date these come into force.".

AJIT M. SHARAN,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Finance Department.

46634—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2009

संख्या सा० का० नि० 31/संवि०/अनु० 283/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा, विभागीय वित्त नियमों को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. ये नियम विभागीय वित्त (हरियाणा संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

2. विभागीय वित्त नियमों में, नियम 3.23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"3.23 अग्रदाय रोकड़ लेखा (नियम 3.19 द्वारा) की प्राप्ति पर, भरपाई अधिकारी लेखा तथा समर्थक वाउचरों का निरीक्षण करेगा, वाउचर पर अनुमोदन के परिणामस्वरूप तिथि सहित अपने आद्यक्षर करेगा, तथा, लेखा पर अभिलिखित औपचारिक भुगतान आदेश द्वारा अग्रदाय की भरपाई, वृद्धि, कमी या बन्द करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकृत करेगा। तथापि, एकल प्राधिकारी / अधिकारी के हाथ में बकाया तथा अनिर्णीत अग्रदाय (अग्रदायों) की संचित राशि किसी प्रक्रम पर किसी मामले में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु विभागाध्यक्ष, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केस से केस के आधार पर विशेष आदेश द्वारा पचास हजार रुपये से अनधिक किसी मूल्य तक संचित राशि की सीमा बढ़ाते हुए विशेष स्वीकृति जारी कर सकता है जहां वह संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसी वृद्धियां अत्यावश्यकता वारंट का स्वरूप हैं :

परन्तु यह और कि इस उपबन्ध के अधीन प्राप्त/वापस किया गया प्रत्येक अग्रदाय तिथि जिसको यह इस प्रकार प्राप्त/वापस किया गया है, के तीन मास के भीतर या तत्काल आगामी 31 मार्च, जो भी पहले हो, अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए :

परन्तु यह और कि उपरोक्त द्वितीय परन्तुक के निबन्धनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा अंतिम तिथि को चूक की दशा में, सम्बद्ध अधिकारी से उसके वेतन से वसूली सहित अनिर्णीत बकाया की वसूली करने, तथा इसे सम्बन्धित/लेखा शीर्ष में जमा करवाने के लिए अग्रदाय की भरपाई इत्यादि को प्राधिकृत करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। यह शर्त इनके लागू होने की तिथि से इस रूप में विद्यमान सभी बकाया अनिर्णीत अग्रदाय पर भी लागू होगी।"।

अजीत एम० सरण,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।